न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

मुन्न 9/17 तारीख रजू 17.10.17

उनवान - सुबह सिंह बनाम गीसो देवी विरुद्ध

प्रार्थना पत्र धारा 144 उल्लंघन अस्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थी की ओर से श्री सुरेश चन्द्र शर्मा एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र धारा 144 उल्लंघन अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। निर्णय दिनांक 12.10.17 का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस से तलब करा दिनांक 10.11.17 को पेश हो। 5406 22-10-17

जगदीश आर्य
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम

10.11.17 वार की ओर से स्थगन रखा गया। दिनांक 21.11.17 को पेश हो

21.11.17 प्रार्थी वकील उप०/अप्रार्थी की ओर से श्री सुनील चिंदल Adv. ने वकालतनामा पेश किया। P.O. करोली पथारो जवाब पेश होने दिनांक 1.12.17 को पेश हो।

1.12.17 पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। गतानुसार दिनांक 15.12.17 को पेश हो।

5.12.17 बकुलाय उप० / क्षेत्रपाल की ओर से श्री सुनील कुमार जिन्दल ने जवाब पेश करके ओ० पी० समय चाहा आईन्दा दिनांक 12.1.18 को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम
19.10.20	वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रतिवादी वकील ने सर्वे दस्त करने का कथन कर कहा कि वादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र बीच के समर्थन में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं° किया गया है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र बीच खारिज किये जाने के योग्य है इस पर पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि बीच प्रार्थना पत्र के समर्थन में वादी द्वारा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं° किया गया है इस पर वादी वकील ने भी कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं° किये जाने का कथन किया है इसलिए साक्ष्यवादी के अभाव में प्रार्थना पत्र बीच को चलते रखना उचित नहीं° है अतः यह प्रार्थना पत्र बीच खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19.10.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। 19/10/2020 (दुर्गा प्रसाद मीना) उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम जिला-करौली